न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (RAS)

दावा संख्या 124/2013 , पुनः दर्ज 287/2019

पुनः दर्ज संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
402/2021	2021/474	21.09.2021	10.04.2026

शीर्षक

मुरारीलाल पुत्र सम्पतराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी अहिरों की तन कल्याणपुरा तहसील कोटपूतली हाल तह0 तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान

वादी

बनाम

1 सुभाष चन्द पुत्र भोलूराम जाति जाट निवासी जोधपुरा तह0 कोटपूतली हाल तह पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़,
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा
3. सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय पावटा प्रतिवादीगण
4 मुकेश पुत्र सम्पतराम
5 महेन्द्र पुत्र सम्पतराम
6 माया पुत्री सम्पतराम
7 विमला पत्नि सम्पतराम द जाति कुम्हार निवासी ढाणी अहिरों की तन कल्याणपुरा तहसील कोटपूतली हाल तह0 तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

1. वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री अशोक गुप्ता व प्रभा अग्रवाल के द्वारा वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 87/0.28, 91/0.06, 92/0.41, 113/0.24, 114/0.03 वाकै मौजा कल्याणपुरा तहसील पावटा जिला–जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ में स्थित है उपरोक्त आराजी मुतदाविया से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया के वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 04 लगायत 07 हिस्सा 3/4 व प्रतिवादी सं. 01 हिस्सा 1/4 के बहैसियत रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार काबिज है तथा मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है।

2. वादी द्वारा उपरोक्त आराजी मुतदाविया खसरा नम्बरान 87/0.28, 91/0.06, 92/0.41, 113/ 0.24, 114/0.03 वाकै मौजा कल्याणपुरा तहसील पावटा तहसील पावटा के संबंध में तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया गया। दावा काबिले समात पाया जाना पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। दिनांक 20.05.2014 प्रतिवादी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तथा बावजूद तामिल के बाद भी उपस्थित नही आने के कारण प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। दिनांक 26.11.2015 को प्रतिवादी सं. 01 की ओर से कोई उपस्थित नही आने के कारण इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. दिनांक 24.06.2016 को वकील वादी की एकपक्षीय बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 03.06.2019 को वादी की ओर से कोई उपस्थित नही आने के कारण वादी का वाद अदम हजारी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। दिनांक 04.06.2019 को वकील वादी द्वारा रेस्टोर प्रार्थना पत्र पेश होने के उपरान्त प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर वाद पुनः नम्बर पर लिया गया। दिनांक 28.09.2022 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

4. वकील वादी ने तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद का डिक्री फरमाया जाने हेतू निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादपत्र अन्तिम निर्णय डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

5 अतः वादी का वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 87/0.28, 91/0.06, 92/0.41, 113/0.24, 114/0.03 वाकै मौजा कल्याणपुरा तहसील पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	**सुभाष पुत्र** भोलूराम जाति **जाट सा.** जोधपुरा राहिन बैंक **आफ बडोदा शाखा बडनगर मुर्तहीन**	92/4/0.22, 91/1/0.0560, 92/1/0.1140, 87/1/0.0975, 113/0.2400, 114/0.0300 हैक्ट0 भूमि
2	मुरारी मुकेश पि. **सम्पत 8/25** **नाबालिग महेन्द्र पुत्र सम्पत संरक्षक माता विमला 4/25** **माया पुत्री सम्पत हि. 4/25** **विमला पत्नि सम्पतराम 9/25** जाति कुम्हार	92/2/0.07, 87/2/0.1825 हैक्ट0 भूमि।
3	शामलाती मुताबिक जमाबन्दी	91/2/0.0040, 92/3/0.0060 हैक्ट भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

दावा संख्या 124/2013 , पुनः दर्ज 287/2019

पुनः दर्ज संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
402/2021	2021/474	21.09.2021	10.04.2026

शीर्षक

मुरारीलाल पुत्र सम्पतराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी अहिरों की तन कल्याणपुरा तहसील कोटपूतली हाल तह0 तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान **वादी**

बनाम

1 सुभाष चन्द पुत्र भोलूराम जाति जाट निवासी जोधपुरा तह0 कोटपूतली हाल तह पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़,
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा
3. सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय पावटा प्रतिवादीगण
4 मुकेश पुत्र सम्पतराम
5 महेन्द्र पुत्र सम्पतराम
6 माया पुत्री सम्पतराम
7 विमला पत्नि सम्पतराम द जाति कुम्हार निवासी ढाणी अहिरों की तन कल्याणपुरा तहसील कोटपूतली हाल तह0 तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः वादी का वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 87/0.28, 91/0.06, 92/0.41, 113/0.24, 114/0.03 वाकै मौजा कल्याणपुरा तहसील पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	सुभाष पुत्र भोलूराम जाति जाट सा. जोधपुरा राहिन बैंक आफ बडोदा शाखा बडनगर मुर्तहीन	92/4/0.22, 91/1/0.0560, 92/1/0.1140, 87/1/0.0975, 113/0.2400, 114/0.0300 हैक्ट0 भूमि
2	मुरारी मुकेश पि. सम्पत 8/25 नाबालिग महेन्द्र पुत्र सम्पत संरक्षक माता विमला 4/25 माया पुत्री सम्पत हि. 4/25 विमला पत्नि सम्पतराम 9/25 जाति कुम्हार	92/2/0.07, 87/2/0.1825 हैक्ट0 भूमि।
3	शामलाती मुताबिक जमाबन्दी	91/2/0.0040, 92/3/0.0060 हैक्ट भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 10.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)